

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 165  
21.06.2019 को उत्तर के लिए

नदियों में प्रदूषण

165. श्री राहुल रमेश शेवले :  
श्री भूर्तहरि महताब :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश की प्रमुख नदियों के लिए निर्धारित जल प्रदूषण के मानक स्तर/मानदंड क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस तरह की नदियों में मानक स्तर की तुलना में जल प्रदूषण की जांच के लिए कोई अध्ययन किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान विभिन्न नदियों में जल प्रदूषण फैलाने के लिए चीनी मिलों और अन्य परिचालित कारखानों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और
- (च) सरकार द्वारा ऐसी नदियों के प्रदूषण स्तर को निर्धारित मानकों/मानदंडों के भीतर रखने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री  
(श्री प्रकाश जावेडकर)

(क) से (ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से निगरानी केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। मुख्य नदियों के लिए मानक स्तरीय जल प्रदूषण के मानदण्ड/मानक ज्यादातर जैविक प्रदूषण के एक प्रमुख संकेतक, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) पर आधारित होते हैं। इन मानदण्डों को बीओडी संकेन्द्रण के आधार पर पांच प्राथमिकता वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है (अर्थात् श्रेणी I: 30 मिग्रा/ली. से अधिक बीओडी स्तर श्रेणी II: 20-30 मिग्रा/ली. के बीच बीओडी; श्रेणी III: 10-20 मिग्रा/ली. के बीच बीओडी; श्रेणी IV: 6-10 मिग्रा/ली. के बीच बीओडी; और श्रेणी V: 3 और 6 मिग्रा/ली. के बीच बीओडी)। सितम्बर, 2018 में सीपीसीबी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तरों के आधार पर 323 नदियों में 351 प्रदूषित नदी जल प्रवाह क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ.) सीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए चीनी मिल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के खिलाफ प्राप्त जन शिकायतों के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	श्रेणी	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20**
1.	चीनी	15	20	13	08	03
2.	आसवनी	20	12	09	05	12
3.	लुगदी एवं कागज	12	13	10	28	03
4.	वस्त्र	9	13	16	26	18

5.	खाद्य और पेय पदार्थ	5	12	06	06	02
** जून, 2019 तक						

एसपीसीबी/पीसीसी सत्यापन और उपयुक्त कार्यवाही में संलग्न हैं। सीपीसीबी ने निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी किए हैं।

(च) नगरीय अपशिष्ट को नदियों में डालने से पहले उसका समुचित शोधन सुनिश्चित करने हेतु सीपीसीबी द्वारा अप्रैल, 2015 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 1 (ख) के तहत देश के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को अपने-अपने राज्यों में मल-जल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना के लिए निदेश जारी किए गए हैं। सीपीसीबी द्वारा नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए मल-जल का उचित शोधन और निपटान सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत समय-समय पर नगरीय प्राधिकरणों को भी निदेश जारी किए गए हैं।

औद्योगिक बहिस्त्रावों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु सीपीसीबी तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्त्राव उत्सर्जन के मानकों के संदर्भ में उद्योग-धंधों की निगरानी की जाती है और मानकों का अनुपालन न होने की स्थिति में कार्रवाई की जाती है। मानकों के अनुपालन की निगरानी में सुधार लाने हेतु विशिष्ट उद्योग-धंधों को ऑन-लाइन 24x7 बहिस्त्राव निगरानी तंत्र स्थापित करने के निदेश जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

नदियों में प्रदूषण के संबंध में शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 165 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य-वार प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदूषित नदी प्रवाह क्षेत्र का नाम	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	कुंडू, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, नागवली	5
2	असम	भारालू, बोसोला, दीपार विधेयक, डिगबोई, कमलपुर, पनचनाई ब्रह्मपुत्र, खारसंग, पग्लिया, बराक, बरोई बेगा, बेकी, भोगदोई, बोगिनदी, बोरबील, बोडोबाम बेल्मुख, बुरीदींग, धनसिरी, डिखो, दीकोरोंग, डिप्लाई, डिसांग, गभरू, होलुदुंगा, जय भारली, झांजी, कालोंग, कपिलि, किलिंग, कोहोरा, कुल्सी, मालिनी, मोरा भारली, पराशली, पुथिमारी, रंगा, समगुडी, संकोष, सिल्साको, सोरुसोला, सन, सोनाई, तेंगा पुखुरी	44
3	बिहार	सिरसिया, फार्मर, गंगा, पुनपुन, राम रेखा, सिक्राणा	6
4	छत्तीसगढ़	हस्देओ, खारून, महानदी, सेनाथ, केलो	5
5	दमन, दीव और दादरा नगर हवेली	दमनगंग	1
6	दिल्ली	यमुना,	1
7	गोवा	साल, मंडोवी, ताल्पोना, असोनोरा, बिचोलिम, चापोरा, खांदेपर, सिकरीम, तिरकोल, वालवंत, जुआरी	11
8	गुजरात	अमलाखादी, भादर, भोगावो, खारी, साबरमती, विश्वमित्र, धादर, त्रिवेणी, अमरावती (नर्मदा की सहायक), दमंगंगा, कोलक, माही, शेडी, तापी, अनास, बलेहवर खादी, किम, मेपवा, मिंधोला, नर्मदा	20
9	हरियाणा	घागर, यमुना	2
10	हिमाचल प्रदेश	सुखाना, मार्कंडा, सिरसा, अश्विनी, बियास, गिरि, पब्वर	7
11	जम्मू-कश्मीर	देविका, बाणगंगा, चुंट कोल, गवकदल, तावी, बसंतर, चिनाव, झेलम, सिंध	9
12	झारखंड	गर्ग, शंख, सुबरनेरेखा, दामोदर, जुमर, कोनार, नलकारी	7
13	कर्नाटक	अर्कावथी, लक्ष्मनतीर्थ, मालप्रभा, तुंगभद्र, भाद्र, कावेरी, कवीनी, कागिना, काली, कृष्णा, शिमशा, असांगी नल्ला, भीमा, कुमारधारा, नेत्रवथी, तुंगा, यागाची	17
14	केरल	करमन, भारथपुझा, कदंबययार, किचेरी, मणिमाला, पंबा, भवानी, चित्रपुझा, कडलुंडी, कल्लाई, करुवन्नूर, कववाई, कुपम, कुट्टीयाडी, मोग्रल, पेरियार, पेरुम्बा, पुजक्कल, रामपुरम, थिरूर, उपपाला	21
15	मध्य प्रदेश	चंबल, खान, क्षिप्रा, बेतवा, सोन, गोहाद, कोलार, तापी, बिचिया, चामला, चौपान, कालीसोट, कानहान, कटनी, कुंडा, माली, मंडकीनी (एमपी), नवज, पार्वती, सिमर, टोंस, वेनगंगा	22
16	महाराष्ट्र	गोदावरी, कालू, कुंडलिका, मिठी, मोर्न, मुला, मुथा, नीरा, वेल, भीमा, इंद्रियानी, मुला-मुथा, पवाना, वायनंगा, वर्धा, घोद, कानहान, कोलार (मह), कृष्णा, मोर, पातालगंगा, पेथी, पेंगंगा, पूर्ण, तापी, उर्मोदी, वेन्ना, वाघुर, वेना, बिंदुसर, बोरी, चंद्रभागा, दर्ना, गिरना, हाडवाडा, कोयना, पहेलर, सीना, तीतुर, अंबा, भल्सा, गोमाई, कान, मंजेरा, पंचगंगा, पंजारा, रंगवली, सावित्री, सूर्य, तानसा, उल्हास, वैतरणा, वशिष्ठी	53
17	मणिपुर	नंबुल, इम्फाल, इरिल, खुगा, खुजैरोक, लोकचाओ, मणिपुर, थौबल, वांगजिंग	9
18	मेघालय	उमखरा, उमेशहिरी, किरुखला, नॉनबाह, उमत्रू, लूखा, मित्तु	7
19	मिजोरम	टियाउ, ट्लाउंग, तुइपुई, तुइवावल, चाइट, मैट, सैकाह, तुइकुअल, तुइरियल	9
20	नगालैंड	धनसिरी, दुजुना, चथे, डीजू, दुजुआ, सानो	6

21	ओडिशा	गांगुआ, गुरदीह नल्लाह, कथजोदी, नंदीराजोर, दया, कुखाई, बंगुरू नल्लाह, भेदन, ब्राह्मण, बुद्धबलानागा, कुसुमी, महानदी, मंगला, नागवल्ली, नुना, रत्नाचिरा, रशिक्युलिया, सबुलिया, सेरुआ	19
22	पुडुचेरी	अरासलर, चुननामवार	2
23	पंजाब	घागर, सतलुज, काली बीन, बीस	4
24	राजस्थान	बनस, चंबल,	2
25	सिक्किम	मनी खोला, रंगित, रानीचु, तीस्ता	4
26	तमिलनाडु	कावेरी, सरबंगा, थिरुमानी उथार, वासिस्ता, भवानी, तांबिरपानी	6
27	तेलंगाना	मुसी, मंजेरा, नाकावागु, कराकावगु, मानेर, गोदावरी, किनेरानी, कृष्णा	8
28	त्रिपुरा	बुरीगांव, गुम्मी, हाओरा, जूरी, खोवाई, मनु	6
29	उत्तर प्रदेश	हिंडन, कालीनादी, वरुना, यमुना, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेटवा, घघारा, राप्ती, साई, सरयू	12
30	उत्तराखंड	भेल, डेला, सुस्वा, किखा, कल्याणी, गंगा, कोसी, नंदौर, पिलखर	9
31	पश्चिम बंगाल	विंधधारी, महानंद, चर्नी, द्वारका, गंगा, दामोदर, जलंगी, कन्सी, मथभंगा, बाराकर, द्वारकेश्वर, कलजानी, करोल, मयूरशी, रुपनारायण, सिलबाती, तीस्ता	17
	<b>कुल योग :</b>		<b>351</b>

\*\*\*\*\*